झारखंड उच्च न्यायालय रांची

आपराधिक रिट याचिका सं**. 461/2022**

संजय कुमार, उम्र लगभग 37 वर्ष, पिता- नंद किशोर प्रसाद, बसंत बिहार कॉलोनी, धांगी मोड़ के पास, कोयला नगर बीसीसीएल, डाकघर- बी.सी.सी.एल टाउनशिप, थाना- सरायढेला, जिला: धनबाद।

याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखण्ड राज्य
2. पुलिस उप निरीक्षक, बोकारो सर्किल, कार्यालय- सेक्टर IV, डाकघर और थाना- सेक्टर IV, जिला बोकारो
3.वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, धनबाद, कार्यालय- धनबाद, डाकघर, थाना- और जिला धनबाद
4.उप पुलिस अधीक्षक, कानून और व्यवस्था, धनबाद, कार्यालय- धनबाद, डाकघर, थाना और जिला धनबाद
5.बैंकमोर पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी, कार्यालय- बैंकमोर, डाकघर और थाना- बैंकमोर, जिला धनबाद
6.एक्सिस बैंक, ऋण अनुभाग, धनबाद शाखा, कार्यालय- सिटी सेंटर, धनबाद, डाकघर, थाना और जिला धनबाद
7.उपेंद्र सिंह, उम्र लगभग 32 वर्ष, पिता- श्री मार्कंडेय सिंह, यू.एस. एजेंसी के स्वामी, नया मातकुरिया, रेलवे कॉलोनी, भूली मोड़, डाकघर और थाना- बैंकमोर, जिला धनबाद

विरोधी पक्ष

विरोधी पक्ष

याचिकाकर्ता के लिए: श्री शैलेश कुमार सिंह, अधिवक्ता
राज्य के लिए: श्री इंद्रनील भदूरी, वरिष्ठ अधिवक्ता IV
विरोधी पक्ष संख्या 6 के लिए:श्री अशोक कुमार यादव, अधिवक्ता
श्री रंजन कुमार, अधिवक्ता

<u>उपस्थित</u>

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुना गया।

2. यह आपराधिक रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई है, जिसमें विरोधी पक्ष, विशेष रूप से विरोधी पक्ष संख्या 3, 4 और 5 को याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट के आधार पर प्रथम

सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए उचित आदेश/निर्देश जारी करने की प्रार्थना की गई है। इस रिपोर्ट की प्रति संलग्नक-5 पृष्ठ 29-30 में रखी गई है।

3. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ने एक फर्म के मालिक के रूप में, विरोधी पक्ष संख्या 6 - एक्सिस बैंक द्वारा वित्तपोषित दो वाहन खरीदे। यह आरोप लगाया गया है कि 24.03.2022 को सुबह 11:00 बजे से 12:00 बजे के बीच, याचिकाकर्ता द्वारा भुली आउट पोस्ट के प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट में नामित व्यक्तियों ने सह-आरोपी व्यक्तियों के साथ मिलकर वाहन को बल का प्रयोग कर उठालिया और अवैध लाभ की मांग की। याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से संज्ञानीय अपराध का उल्लेख होने के बावजूद, विरोधी पक्ष संख्या 5, जो बैंकमोर पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी है, ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की।

4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आईसीसीआई बैंक लिमिटेड बनाम प्रकाश कौर एवं अन्य **(2007) 2** एससीसी **711** का हवाला देते हैं और प्रस्तुत करते हैं कि उस मामले के तथ्यों की तरह, इस मामले में भी एक आरोपी व्यक्ति, उपेंद्र सिंह, जिनके बारे में इस याचिका के पैराग्राफ 4 (j) में उल्लेख किया गया है, के खिलाफ बाईस (22) आपराधिक पूर्ववृत्त हैं और वह एक गैंगस्टर हैं। इसके बाद प्रस्तुत किया गया कि बलात्कृत तरीके से वाहन पर कब्जा करने के लिए गैंगस्टर को नियुक्त करना भी एक अपराध है। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि जब उन व्यक्तियों ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट में नामित वाहनों पर बल का प्रयोग कर कब्जा किया, तब याचिकाकर्ता पर विरोधी पक्ष संख्या 6 का कोई बकाया नहीं था और न ही किसी सक्षम न्यायालय से वाहन पर कब्जा लेने का कोई आदेश पारित किया गया था। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि विरोधी पक्ष संख्या 5 - बैंकमोर पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी को निर्देश दिया जाए कि वह याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट दिनांक 01.08.2022 के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करे, जिसकी प्रति पृष्ठ 29-30 पर रखी गई है और संबंधित कानून के अनुसार उन आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करे।

5. विरोधी पक्ष संख्या 2 से 5 की ओर से दायर प्रत्युत्तर हलफनामे में यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा विरोधी पक्ष को प्रस्तुत आवेदन पर भुली (आउट पोस्ट) के प्रभारी अधिकारी द्वारा एक जांच की गई थी और एक्सिस बैंक के अधिकारी के बयान से यह स्पष्ट हुआ कि याचिकाकर्ता ने ईएमआई का भुगतान करने में चूक की थी और परिणामस्वरूप वाहनों को चोला फाइनेंस कंपनी की सहायता से पुनः प्राप्त किया गया था। इसी संबंध में जानकारी गोविंदपुर पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को दी गई थी और उक्त वाहन गुरु पार्किंग यार्ड में लाए गए थे जो भुली आउट पोस्ट पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में आता है। विरोधी पक्ष संख्या 2 से 5 द्वारा यह विवादित नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट में संज्ञानीय अपराध का उल्लंघन किया गया है।

6. जब न्यायालय ने वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता ।V से पूछा कि किस कानून के प्रावधान के तहत बिना प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए हुए जब लिखित रिपोर्ट संज्ञानीय अपराध का उल्लंघन करती है, तो भुली आउट पोस्ट का प्रभारी अधिकारी जांच कैसे कर सकता है, तो वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता ।V ने उचित रूप से स्वीकार किया कि यह विरोधी पक्ष संख्या 5 द्वारा की गई एक गलती है।

7. अपने प्रत्युत्तर हलफनामे में, विरोधी पक्ष संख्या 6 ने कहा है कि वाहन मेसर्स सिंह सर्विसेज की पैनल एजेंसी द्वारा पुनः प्राप्त किया गया था न कि यू.एस. एजेंसी द्वारा। इसके बाद प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता ने एफ.आई.आर. में झूठे आरोप लगाए हैं। एक वाहन पर पांच ईएमआई का बकाया था और दूसरे वाहन पर आठ ईएमआई का बकाया था और अतिदेय राशि को याचिकाकर्ता ने वाहन की पुनः प्राप्ति के बाद जमा कर दिया था लेकिन चूंकि याचिकाकर्ता पुनः प्राप्ति शुल्क, यार्ड शुल्क और अन्य शुल्क का भुगतान करने में विफल रहा और भविष्य में ऋण ईएमआई भुगतान में कोई चूक न होने का क्षतिपूर्ति बॉड निष्पादित करने से इनकार कर दिया,

इसलिए विरोधी पक्ष संख्या 6 बैंक ने याचिकाकर्ता को वाहन जारी नहीं किया। विरोधी पक्ष संख्या 6 इस बात से इनकार नहीं करता कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट संज्ञानीय अपराध का उल्लंघन करती है।

8. बार में की गई परस्पर विरोधी प्रस्तुतियों को सुनने के बाद और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री को ध्यान से देखने के बाद, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि यह स्पष्ट है कि इस याचिका के संलग्नक 1 और 1/1, जो क्रमशः पृष्ठ 18 और 19 पर रखे गए हैं, में यह दर्शाया गया है कि विवादित वाहन यू.एस. एजेंसी द्वारा कब्जे में लिया गया है। विरोधी पक्ष संख्या 6 बैंक का कहना है कि उसे यह ज्ञात नहीं है कि किसने यू.एस. एजेंसी को वाहन पर कब्जा लेने के लिए अधिकृत किया, लेकिन संलग्नक 1 और 1/1 की सत्यता को किसी ने चुनौती नहीं दी है, बल्कि विरोधी पक्ष संख्या 2 से 5 द्वारा दायर प्रत्युत्तर हलफनामे में संलग्नक 1 और 1/1 का समर्थन किया गया है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट संदेह के बिना संज्ञनीय अपराध की घटना को प्रकट करती है और जैसा कि राज्य के लिए उपस्थित वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता ।V द्वारा उचित रूप से प्रस्तुत किया गया कि विरोधी पक्ष संख्या 5 की ओर से उस लिखित रिपोर्ट दिनांक 01.08.2022 के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न करने में एक गलती हुई थी। यह उल्लेख करना अनावश्यक है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार यह अनिवार्य है कि जब किसी संज्ञनीय अपराध की सूचना पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को दी जाती है, तो इसे एक पुस्तक में दर्ज किया जाना चाहिए, और सूचना की एक प्रति जो धारा 154 (1) के तहत रिकॉर्ड की गई है, तुरंत मुफ्त में सूचनाकर्ता को दी जानी चाहिए, जिसे प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण की प्रक्रिया का एक हिस्सा कहा जाता है।

9. अब, मामले के तथ्यों पर आते हैं, जैसा कि विवादित रूप से संलग्नक-6 भुली आउट पोस्ट के प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत किया गया था, बैंकमोर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत धनबाद जिले में, विरोधी पक्ष संख्या 5 - बैंकमोर पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न करके एक गंभीर अवैधता की है।

10. तदनुसार, इस न्यायालय का विचार है कि यह एक ऐसा मामला है जहां एक आदेश जारी किया जाना चाहिए जिसमें विरोधी पक्ष संख्या 5 - बैंकमोर पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी को निर्देश दिया जाए कि वह याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करे जो भुली आउट पोस्ट के प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत की गई थी और मामले की जांच शुरू करे तथा कानून के अनुसार मामले की तार्किक निष्कर्ष तक जांच करे।

11. तदनुसार, एक आदेश जारी किया जाता है जिसमें विरोधी पक्ष संख्या 5 - बैंकमोर पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करे जो भुली आउट पोस्ट के प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत की गई थी और मामले की जांच शुरू करे तथा कानून के अनुसार मामले की तार्किक निष्कर्ष तक जांच करे।

12. इस आपराधिक रिट याचिका को उपरोक्त अवलोकनों के साथ अनुमति दी जाती है।

13. तदनुसार आदेश निर्गत करें।

(न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी)

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
दिनांकित 08 दिसंबर, 2023

यह अनुवाद संजय नारायण, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|